न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या–189/2026

	<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–902/2026</u> **1. सुभाष यादव, उम्र करीब–45 वर्ष, पिता–विन्देश्वरी यादव,** **2. दिनेश कुमार यादव, उम्र करीब–35 वर्ष, पिता–चन्देश्वरी यादव, साकिनान–डपरखा लक्ष्मीनियॉ, वार्ड नं0–10, थाना–त्रिवेणीगंज, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्तगण।** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी।**	
<u>16.07.2026</u>	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **1. सुभाष यादव एवं 2. दिनेश कुमार यादव** की ओर से दाखिल किया गया है, जो त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या–189/2026 अन्तर्गत धारा–223, 303(2), 317(2) B.N.S and 11, 39, 56, 43 Bihar Mineral (BMMC) Rule-2019 के अधीन दर्ज काण्ड में गिरफ्तारी के भय से आशंकित हैं तथा जिनका यह वाद विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, सुपौल के न्यायालय में लंबित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार शशि भूषण लाल दास एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजेश कुमार सिंह को सुना। अभियेाजन के अनुसार सूचक, शहबाज अहमद, वर्तमान खान निरीक्षक खनन कार्यालय, सुपौल के टंकित आवेदन के आधार पर संस्थित त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या–189/2026 धारा–223, 303(2), 317(2) B.N.S and 11, 39, 56, 43 Bihar Mineral (BMMC) Rule-2019 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त महिन्द्रा ट्रैक्टर रजिस्टेशन नम्बर अंकित नहीं, चेचिस नं0–MBNABAEXKNRE,09106 इंजन नं0–3102FLU831768944F19 के मालिक एवं चालक के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। उक्त वर्णित वाहन के मालिक/चालक के द्वारा अवैध रूप से लघु खनिज एवं परिवहन चालान/ओवरलोड कर चोरी से लघु खनिज बेचा जा रहा था, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली–2019 (यथा संशोधित–2024) की नियम–11 एवं 43 का उल्लंघन है तथा नियम–56 के तहत दण्डनीय व वसूलनीय है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे निर्दोष हैं तथा उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण की	लगातार

लगातार 16.07.2026	ओर से कोई जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं की गई है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण ट्रैक्टर मालिक हैं। आवेदकगण पर कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है। आवेदकगण के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया है कि प्रस्तुत मुकदमा में लगाये गये धारा प्रार्थी के विरुद्ध बनता है। आवेदक अभियुक्तगण धारा–482 बी0एन0एस0एस0 के शर्तों को मानने को तैयार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा अवैध रूप से लघु खनिज एवं परिवहन चालान/ओवरलोड कर चोरी से लघु खनिज बेचा जा रहा था, जो बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली–2019 (यथा संशोधित–2024) की नियम–11 एवं 43 का उल्लंघन है। अतः प्राथमिकी में आवेदकगण के उपर लगाये गये धाराएँ अजमानतीय है। इसलिए उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है। अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं हैं तथा प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा अवैध रूप से लघु खनिज एवं परिवहन चालान/ओवरलोड कर चोरी से लघु खनिज बेचने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–26 के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा ई–चलान के माध्यम से जुर्माना राशि–105325.00 एवं जुर्माना राशि–105325.00 रुपया जमा करने से संबंधित चलान है, ई–चलान का छायाप्रति काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न है। कंडिका–31 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक अभियुक्तगण **1. सुभाष यादव एवं 2. दिनेश कुमार यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत कर आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर आत्मसर्मपण या गिरफ्तारी के पश्चात् मो0–10,000/– रुपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध–पत्र बी0एन0एस0एस0	

न्यायालय, श्री कुमार कौशल किशोर, अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, सुपौल।
त्रिवेणीगंज थाना काण्ड संख्या–189 / 2026

लगातार 16.07.2026	की धारा 482(2) के अंतर्गत दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश निम्नलिखित शर्तों के साथ दिया जाता है किः– 1. आवेदक अभियुक्तगण के दो जमानतदारों में से एक जमानतदार उनके सगे–संबंधी होगे, 2. आवेदक अभियुक्तगण वाद के अनुसंधान में सहयोग करेगें, 3. आवेदक अभियुक्तगण यदि गवाह या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व प्रभावित करते हैं तो अभियोजन को जमानत रद्द करने हेतु निवेदन करने का अधिकार होगा। इस आशय का लिखित वचनबद्धता (Undertaking) विचारण न्यायालय में दाखिल करेंगे। लेखापित Sd- अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ सुपौल।	